International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030
Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 3; Issue 1; January 2018; Page No. 686-689

झारखण्ड राज्य में जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति एवं महिला तस्करी का मानवशास्त्रीय अध्ययन

हमीदा खातून, जैनेन्द्र कुमार
शोध छात्रा, मानव विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, भारत।

प्रस्तावना

शिक्षा किसी भी समाज का आइना होता है। भारत में जनजातीय महिलाओं के संदर्भ में देखा जाय तो अनेक प्रकार के विषय तथा समस्याएँ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उनमें से एक है जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति। जिस कारण जनजातीय महिलाओं में शिक्षा के अभाव से उत्पन्न हुई महिला तस्करी को अनदेखा नहीं किया जा सकता है जो श्रम की मांग का सबसे खराब नतीजा मानव तस्करी के रूप में सामने आ रहा है।

मुख्यत

ऐसा देखा गया है कि जनजातीय महिलाएँ अपने से जुड़ी पारंपरिक बदलावों के लिए समाज से मुकाबला नहीं कर पाती है। क्योंकि वे अपने समाज से जुड़ी रीति-रिवाजों तथा अशिक्षा से जकड़ी हुई होती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इनके विकास में किसी का प्रोत्साहन नहीं मिलता। बहुत ऐसे आधुनिक संगठन है जो महिलाओं के शैक्षणिक, सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य करते हैं परंतु अशिक्षा व जागरूकता की कमी के कारण विकास नहीं हो पा रहा है। जनजातीय क्षेत्रों में यह भी पाया गया है की रोजगार के नाम पर कई प्लेसमेंट एजेंसी जनजातीय बाहुल्य इलाक़ों की अशिक्षित, कम पढ़ी-लिखी युवतियों एवं किशोरियों को अपने वाग्यजाल से बड़े शहरों के ओर भेज रही है, जिनमें से कई से अनैतिक कार्य कराए जाते है। इस कारण महिला तस्करी जैसी समस्याएँ उभर कर सामने आ रही है।

जनजातीय महिला तस्करी की स्थिति लगातार बदतर होते जा रही है। तमाम कोशिशों के बावजूद जनजातीय महिला तस्करी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन्हीं सारी समस्याओं एवं सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखकर ही इस शोध पत्र हेतु तेजी से विकास कर रही रांची शहर का उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के प्रयोग से चयन किया गया है। इस शोध पत्र में प्राथमिक स्त्रोत तथा वैयक्तिक अध्ययन से तथ्यों का संकलन किया गया है।

की-वर्ड : जनजातीय महिला, तस्करी, शैक्षणिक स्थिति

शोध विधि व प्रविधि

यह शोध पत्र से झारखण्ड राज्य की जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति तथा महिला तस्करी जैसी समस्याओं को सामने लाने का प्रयास है। इस समस्या एवं सामाजिक तथ्यों को ध्यान में रखकर इस शोध पत्र हेतु तेजी से विकास कर रही रांची शहर के जनजातीय ग्रामों को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन के प्रयोग से चयन किया गया है। इस शोध पत्र में प्राथमिक, द्वितीयक तथा वैयक्तिक अध्ययन से तथ्यों का संकलन किया गया है। इस पत्र के माध्यम से जनजातीय महिलाओं को आधुनिक शिक्षा से वंचित रखने वाले कारकों का भी विस्तृत चर्चा किया जाना है।

परिचय

मनुष्य एक बुद्धिजीवी प्राणी है जो मानव सभ्यता की शुरुआत से अपने बुद्धि कौशल के बल पर इस ब्रह्माण्ड की तथ्यों को सुलझाने तथा प्रकृति पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहा है। समय के प्रवाह में शिक्षा का स्वरूप एवं शिक्षा पद्धतियों में परिवर्तन होता रहा है। मानवशास्त्रीय विचारकों के अनुसार शासक वर्ग शिक्षा के माध्यम से जनता पर अपना नियंत्रण करते थे। अन्य विषय के विद्वान भी शिक्षा को समाज के रचनात्मक परिवर्तन का साधन मानते हैं।

किसी भी राष्ट्र का आदर्श उसकी शिक्षण संस्थाओं में ही प्रतिबिंबित होता है। इनमें हमें राष्ट्रीय एकता की आत्मा के पहचान में सहायता मिलती है। भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्राथमिक शिक्षा प्राथमिकता की वस्तु है। अपने देश के शिक्षा व्यवस्था के प्राथमिक स्तर पर प्राचीन काल से ही विभिन्नताएं, असमानताएं दृष्टिगोचर हो रही है। किसी भी राष्ट्र की प्रगति एक निश्चित शिक्षा नीति, निश्चित शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करती है। अर्थात शिक्षा जीवन का आधार है।

भारतीय जनजातीय क्षेत्र के जनजातीय लोग अन्य सामाजिक व आर्थिक पक्षों की तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी अलग-अलग स्तरों पर है। इन जनजातीय समूहों पर औपचारिक शिक्षा का प्रभाव बहुत कम पड़ा है। *1950* से पहले जनजातीय समूहों को औपचारिक शिक्षित करने के लिए भारत सरकार के पास कोई प्रत्यक्ष योजना नहीं थी। *1931* की जनगणना के अनुसार केवल *0.7* प्रतिशत जनजातीय लोग ही शिक्षित थे। *1991* में यह संख्या बढ़ कर *29.60* प्रतिशत हो गया जबकि पूरे देश में लगभग *50* प्रतिशत शिक्षित लोग थे। जिसमें जनजातीय महिलाओं में शिक्षा की दर बहुत कम थी। विगत *60* वर्षों में जनजातियों में किए गए प्रयासों के बावजूद आज भी मात्र *35* प्रतिशत है।

भारतीय जनगणना *2001* के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति संबंधी आँकड़ों में मात्र *40.7* प्रतिशत लोग शिक्षित थे जिसमें मात्र *27.3* प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ शिक्षित है। झारखंड राज्य की जनजातीय समूह, विशेषकर जनजातीय महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का कारण या इनके विकास में एक बड़ी बाधा उनकी निरक्षरता है। इसी कारण से इन जनजातियों को अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वर्तमान झारखण्ड राज्य में सबसे बड़ी समस्या मानव व्यापार या मानव तस्करी है। मानव तस्करी विश्व का तीसरा सबसे बड़ा अपराध है। झारखण्ड राज्य से प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में मानव तस्करी हो रहा है। दैनिक अख़बार 'हिंदुस्तान' के अनुसार वर्ष 2014 से 21 जुलाई 2017 तक 1453 तस्करी के मामले दर्ज किये गए है। प्रशासन का मानना है कि इस दौरान 1674 लोग लापता हुये, जिनमे से 1230 लोगों को बरामद कर लिया गया है। 444 व्यक्ति अब भी लापता हैं। इस आँकड़ों से स्पष्ट है कि झारखण्ड राज्य मानव तस्करी का गढ़ है।

मानव तस्करी हमारे समाज की एक गंभीर समस्या है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूरी तक के लिए मानव तस्करी की जाती है। जिसमें से 80 प्रतिशत मानव तस्करी देह व्यापार के लिए होता है। इसके लिए तस्करी संगठन गाँवों के बेहद गरीब परिवारों की कम उम्र की बच्चियों पर नज़र रखकर उनके परिवार को शहर में अच्छी नौकरी के नाम पर झांसा देते है। अत्यधिक गरीबी, शिक्षा की कमी और सरकारी नीतियों का ठीक से लागू न होना ही मानव तस्करी का सबसे बड़ा वजह बनता है। इस क्षेत्र में लगभग 5000 से ज्यादा तस्करी संगठन फल फूल रही है। तस्करी पीड़ित महिलाओं के साथ मर-पीट के अलावे शारीरिक तथा मानसिक शोषण भी किया जाता है।

चर्चा व विश्लेषण

पृथक झारखण्ड राज्य का गठन हुये 17 वर्ष हो चुका है, इसके बावजूद झारखण्ड राज्य का विकास नहीं हो पाया है। कई प्रकार के संघर्ष के उपरांत झारखण्ड राज्य अस्तित्व में आया परंतु अपेक्षाकृत विकास संभव नहीं हो पाया। वर्तमान में इस राज्य का स्थान समस्त भारत में 28वाँ है जो विचारणीय है। इस राज्य अगर किसी क्षेत्र में सभी राज्यों से आगे है तो वह है अपराध, नक्सल, अशिक्षा, गरीबी आदि। यह राज्य मानव तस्करी में भी शीर्ष पर है।

उपरोक्त अवरोध के कारण से ही झारखण्ड राज्य में विकास संबंधी कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की समस्यों का प्रमुख कारण इस राज्य की शैक्षणिक स्थिति है। इस राज्य की बदतर शैक्षणिक स्थिति का प्रमुख कारण इस राज्य का अपना शैक्षणिक इतिहास है। ब्रिटिश काल से ही यहाँ की जनजातियों को शिक्षा से दूर रख कर ब्रिटिश अपना काम निकालते रही है। अभी वर्तमान समय में भी इन जनजातियों को शिक्षा से दूर रखने के लिए केंद्र व राज्य सरकार दोनों प्रयास करते रहते है। अर्थात कहा जा सकता है कि झारखण्ड राज्य की राजनैतिक व्यवस्था के कारण से ही यह शिक्षा में काफी पिछड़ा है।

जब झारखण्ड राज्य की शैक्षणिक इतिहास की ओर दृष्टि डालते है तो स्पष्ट होता है कि शैक्षणिक विकास का कारण राजनैतिक व्यवस्था है क्योंकि जब जब यहाँ के मूल वासी शैक्षणिक संस्थाओं की माँग की है तब तब इन्हें वैसी संस्थायें दी गयी जिसका उन्हें आवश्यकता नहीं था। उदा॰ के रूप में क्रमशः देखा जा सकता है। सर्वप्रथम अपृथक झारखण्ड में संत कोलंबस कॉलेज का स्थापना 1899 में ब्रिटिश काल में किया गया। इसके उपरांत Central Institute of Psychiatry (CIP) का स्थापना 1918 की गई। क्रमशः 1955 में Birla Institute of Technology (BIT), 1956 में Ranchi Institute of Neuro-Psychiatry Allied Sciences (RINPAS), 1960 में Rajendra Institute of Medical Sciences (RIMS) आदि संस्थायें अस्तित्व में आयी। अंततः आजादी के उपरांत 1960 में रांची विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। जो की इसके शैक्षणिक विकास हेतु पहला कदम था। अभी वर्तमान समय में इस राज्य में अन्य राज्यों के अपेक्षा मात्र 5 विश्वविद्यालय तथा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है।

इस प्रकार की शैक्षणिक स्थिति से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के मूल वासीयों की शैक्षणिक स्थिति क्या होगी? अर्थात शैक्षणिक पिछड़ापन तथा जागरूकता की कमी होने के कारण से ही झारखण्ड राज्य अपराध जगत में शीर्ष पर है।

झारखण्ड राज्य को भारत में मानव तस्करी का गढ़ माना जाता है। वर्तमान झारखण्ड राज्य में महिला तस्करी जैसी समस्या जोरों पर है। इस समस्या के सामने राज्य सरकार व केंद्र सरकार की तमाम कोशिश बौने साबित हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र की परिभाषा के अनुसार 'किसी व्यक्ति को डराकर, बलप्रयोग कर या दोषपूर्ण तरीके से भर्ती, परिवहन या शरण में रखने की गतिविधि तस्करी की श्रेणी में आता है। एक अनुमान के अनुसार यह दृष्टिगोचर होता है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा महिला तस्करी यौन शोषण के लिए किया जाता है, और बाकी बंधुआ मजदूरी के लिए। झारखण्ड राज्य के रांची, खूंटी, सिमडेगा, पालकोट, बसिया एवं पश्चिम सिंघभूम आदि जिलों से जनजातीय महिलाओं की तस्करी जोरों से हो रही है।

मानव तस्करी जैसी समस्या का क्षेत्र बहुत व्यापक है। यह झारखण्ड में पहले भी बड़ी समस्या थी और अब भी है। यह राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े होने के कारण गरीबी का सामना कर रहा है। इस कारण से जनजातीय महिलाओं में शिक्षा का अभाव है। झारखण्ड राज्य के आँकड़ों के अनुसार प्रत्येक वर्ष लगभग 50 हजार से ज्यादा महिलाएँ तस्करी का शिकार हो रही है। इस राज्य में हो रही मानव तस्करी के कारक को निम्न रूप में चिन्हित किया जा सकता है।

1. आर्थिक संकट

किसी भी समाज की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए सर्वप्रथम उस समाज की आर्थिक स्थिति को समझना अति आवश्यक है। जिस समाज की अर्थव्यवस्था कमजोर होगी उस समाज में अपराध जैसी समस्या अवश्य उत्तपन होगी। झारखण्ड राज्य में अपार खनिज सम्पदा होने के बावजूद यहाँ की जनजातीय समुदाय की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये अभी भी गरीबी जैसी समस्या से पीड़ित हैं। गरीबी के कारण ये अपने परिवार के भरण-पोषण में असमर्थ हैं। जिस कारण से यहाँ की कम पढ़ी-लिखी महिलाएँ व किशोरियाँ बड़े शहरों की ओर रोजगार की चाह में निकाल जाती है।

2. राजनीतिक कारण

किसी भी अपराध को बढ़ावा उस राज्य की राजनीतिक व्यवस्था देती है। सरकार और प्रशासनिक लापरवाही के कारण ही कोई अपराध पनपता है। जहाँ की सरकार शख्त होगी वहाँ कभी भी अपराध अपना पैर नहीं पसर सकता। झारखण्ड राज्य की राजनीतिक ढाँचा काफी लचीली है। इस राज्य की जनजातीय महिलाएँ भोली-भाली होने के कारण आसानी से किसी भी संगठन के झांसा में फंस जाती है। यहाँ जीतने भी प्रकार के तस्करी संगठन कार्य कर रही है उस संगठन को बढ़ावा यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था देती है। इस संगठनों का संपर्क काफी ऊपर तक होता है जिस कारण प्रशासन लापरवाह होने पर मजबूर हो जाती है। यहाँ तक कि प्रशासन के तस्करी संबंधी आँकड़ों में भी काफी गड़बड़ी असमानता दिखाई पड़ती है।

3. शहरी चमक-धमक

पश्चिमीकरण के प्रभाव से जनजातीय क्षेत्रों में व्यापक असर पड़ा है। झारखण्ड राज्य की जनजातीय महिलाएँ व किशोरियाँ शहरी चमक-धमक की ओर आकर्षित हो रही है। इस आकर्षण के कारण भी जनजातीय महिलाएँ अपने घरों को छोड़ शहर की ओर रुख कर रही है। कुछ महिलाए रोजगार के प्रलोभन में तो कुछ महिलाएँ शहरों के चमक-धमक के कारण तस्करी का शिकार हो रही है। इनमें से ज्यादा किशोरियाँ तस्करी का शिकार हो रही है। इस प्रकार की किशोरियाँ ज्यादातर देह व्यापार करने वाली संगठनों के झाँसों में फंस जाती है।

4. वाग्यजाल

झारखण्ड राज्य की जनजातीय संस्कृति की और अगर ध्यान आकर्षित करे तो दिखाई पड़ता है कि यहाँ के निवासी सीधे-साधे व भोले-भाले

होते है। ये बहुत ही आसानी से किसी की बातों में तथा उनकी बातों से सहमत हो जाते है। तस्करी वाले संगठन इसी का लाभ उठा कर यहाँ की जनजातीय महिलाओं को बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं तथा रोजगार का लोभ दिखा कर आसानी से अपने वाग्यजालमें फाँस लेते है। इस प्रकार के संगठन वाले लोगों की वाग्यजाल शक्ति बहुत ही बेहतर होती है। ये अपने वाग्यजाल से शिक्षित वर्ग के लोगों का भी brain wash कर देते है। इस कारण से जनजातीय महिलाए आसानी से इनके झांसे में आ जाती है।

5. रोजगार की कमी

झारखण्ड राज्य में रोजगार की कमी एक बड़ी समस्या है। इस राज्य में शैक्षणिक संगठनों की कमी तथा निजी उद्योगों की कमी के के कारण से लोग शहरों की ओर जा रहे हैं। शहरों में मजदूरी, ईंट भट्टों में काम, बड़ी इमारतों में काम आदि आसानी से मिल जाने के कारण लोग हजारों की संख्या में प्रतिवर्ष जा रहे हैं। यहाँ राज्य सरकार के पास जनजातीय लोगों के लिए कोई उचित रोजगार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। वर्तमान में इस प्रवास को रोक-थाम हेतु केंद्र सरकार व राज्य सरकार के द्वारा कई प्रकार के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं परंतु यह प्रवास थमने का नाम नहीं ले रहा है। अतः इस प्रकार के प्रवास से भी महिला तस्करी जैसी समस्या उभर रही है।

6. पारिवारिक प्रताड़ना

पारिवारिक प्रताड़ना भी एक प्रकार के अपराध की श्रेणी में आता है। एक रिपोर्ट के आधार पर लगभग 23 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ इसका शिकार होती है। इस प्रकार की महिलाएँ अक्सर अपने परिवार को छोड़ने के लिए विवश हो जाती है। इस प्रकार की महिलाओं पर विशेष रूप से तस्करी करने वाले संगठनों की नजर होती है। इन महिलाओं को शहरों में ले जा कर इनसे अनैतिक कार्य कराया जाता है।

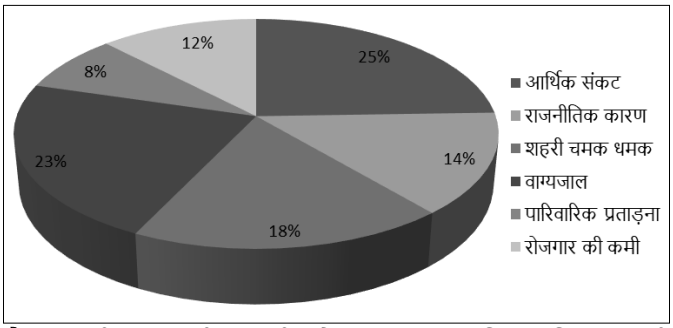

श्रोत: कुमारी आस्था, पी-एच. डी. शोध प्रबंध, मानव विज्ञान विभाग, रांची विश्वविद्यालय, रांची

ग्राफ संख्या 1 : तस्करी के कारण संबंधी आंकड़ा

उपरोक्त ग्राफ में स्पष्ट है कि इस समस्या का सबसे बड़ा कारण जनजातीय महिलाओं की आर्थिक स्थिति है। आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण 25 प्रतिशत महिलाए इसका शिकार हुई है। 23 प्रतिशत जनजातीय महिलाए तस्करी करने वाले संगठनों के झांसे में आ जाती है। 18 प्रतिशत जनजातीय महिलाए शहरी चमक धमक के कारण शिकार हो रही है। 14 प्रतिशत महिलाओं के शिकार होने के पीछे राजनीतिक व्यवस्था मूल कारण है। 8 प्रतिशत महिलाए अपने परिवार के प्रताड़ना से बच कर निकाल जाती है परंतु तस्करी का शिकार हो जाती है तथा 12 प्रतिशत अन्य कारण है जिसका शिकार जनजातीय महिलाए हो रही है जैसे- रोजगार की कमी, सामाजिक स्थिति, तर्क करने की कमी, अधिक धन का लोभ आदि।

जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति

जब हम झारखण्ड राज्य के विकास की बात करते है तो पाते हैं कि राज्य का आधा हिस्सा विकास के लाभ से वंचित है और उनकी गणना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं के रूप में की जाती है। यह राज्य एक जनजातीय बहुल क्षेत्र है। वर्तमान समय में सरकार यहाँ की जनजातीय लोगों तथा महिलाओं में शिक्षा के स्टार को ऊँचा करने के लिए अथक प्रयास कर रही है, इसके बावजूद भी इन जनजातियों का विकास संभव नहीं है।

भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार, झारखण्ड में साक्षरता दर 53.56 प्रतिशत थी जिसमें पुरुष 63.83 प्रतिशत तथा महिला 38.87 प्रतिशत साक्षर थे। 2011 में साक्षरता दर में वृद्धि आँकी गई जो कुल 66.41 प्रतिशत है। जिसमें से पुरुष साक्षरता 76.84 प्रतिशत तथा महिला 52.04 प्रतिशत साक्षर है। भारतीय जनगणना 2001 के अनुसार झारखंड राज्य में जनजातियों की शैक्षणिक स्थिति संबंधी आँकड़ों में मात्र 40.7 प्रतिशत लोग शिक्षित थे जिसमें मात्र 27.3 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ शिक्षित है।

झारखण्ड राज्य में हो रहे तस्करी का शिकार हो रही महिलाओं के वैयक्तिक अध्ययन से ज्ञात है कि ज्यादातर तस्करी पीड़ित कम उम्र के अशिक्षित व कम पढ़े लिखे हैं। उदा.-

1. नेहा (बदला हुआ नाम) खूंटी जिला मुरहु ग्राम की रहने वाली है। जिसकी उम्र 15 साल है। इसने मात्र चौथी तक की पढ़ाई की है। घर की आर्थिक स्थिति दैन्य है। इसे रोजगार की काफी आवश्यकता थी जिस कारण ये उस संगठन के संपर्क में आ गयी। इस बच्ची को तस्करी संगठन ने काम दिलाने का झांसा देकर अपने साथ हरियाणा ले गये। इस बच्ची को हरियाणा में एक परिवार को बेच दिया गया। यहाँ इससे एक दाई के रूप में काम लिया जाता था। हरियाणा के उस परिवार के पड़ोसी ने अपनी सूझ-बूझ तथा प्रशासनिक मदद से मुक्त कराया गया।
2. ममता (बदला हुआ नाम) के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये भी एक गरीब परिवार से संबंध रखती है। ये भी खूंटी जिला के मुरहु ग्राम की रहने वाली है। जिसकी उम्र *16* वर्ष है। इसके पारिवारिक सदस्यों में मात्र माँ ही जीवित है जो अपने परिवार के भरण पोषण हेतु स्थानीय बाज़ार में सब्जी बेचती है। ममता सातवीं तक की पढ़ाई की है। नेहा और ममता दोनों को एक साथ दिल्ली ले जाया गया था। इसे भी हरियाणा के एक परिवार में दाई के रूप में कार्य करना पड़ता था। इन दोनों को एक साथ मुक्त कराया गया था।
3. ज्योति (बदला हुआ नाम) गुमला जिला के बनरी ग्राम की रहने वाली है। इसकी उम्र 15 वर्ष है। यह भी मात्र चौथी कक्षा तक शिक्षा प्राप्त की है। इसे इसके ग्राम की एक महिला ने ही घर छोड़ने के लिए उकसाया और बेहतर काम दिलाने का झांसा देकर देह व्यापार के धंधे में धकेल दी। इसे दो वर्षों तक बंधक बना कर रखा गया तथा इसका अनैतिक शारीरिक शोषण किया गया। इसे उस समय में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। एका-एक ये कार्यरत एक गैर सरकारी संगठन के संपर्क में आई, जहाँ से इन्हें छुड़ा कर वापस लाया गया।
4. सरिता (बदला हुआ नाम) सिमडेगा जिला के लचड़ागढ़ क्षेत्र की निवासी है। इसने मात्र छठवीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। इसके पिता सेवानिवृत सेना के जवान रहे हैं परंतु अपनी पारिवारिक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में असमर्थ रहे हैं। सरिता की उम्र 16

वर्ष है और जिसे रातों-रात अमीर बनाने का सपना दिखाया गया था। तस्करी संगठन सीमित साधनों से मजबूर महिलाओं को शहरी चमक-धमक दिखा कर बड़े शहरों की ओर भेज देती है। सरिता को भी अधिक धन कमाने का झांसा देकर यौनिक गुलाम बनाया गया जहाँ उसका प्रतिदिन शारीरिक शोषण किया जाता था। किसी प्रकार वह वहाँ से भागने में सामर्थ्य हुयी।

इसी प्रकार से अनेक प्रकार के हजारो उदाहरण झारखण्ड राज्य में देखने को मिल जायेंगे। यहाँ अधिकतर महिलाए अशिक्षा के कारण तस्कर का शिकार हुयी है। झारखण्ड वार्षिक योजना 2016-17 के अनुसार भारत में श्रमशक्ति भागीदारी दर 52.5 प्रतिशत है जिसमें से 15 से 20 उम्र का दर 48.9 प्रतिशत है। इस आँकड़े के अनुसार लगभग 54.7 प्रतिशत तस्करी ग्रामीण क्षेत्रों से तथा 47.2 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों से किया जाता है। झारखण्ड वार्षिक योजना 2016-17 के अनुमान के अनुसार इस राज्य से बंधुआ मजदुर के रूप में 48.9 प्रतिशत लोगों का तस्करी किया जाता है वहीं 15.6 प्रतिशत महिलाओं का तस्करी देह व्यापार व शारीरिक शोषण के लिए किया जाता है।

झारखण्ड वार्षिक योजना 2016 के अनुमान के अनुसार 7.4 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज किया गया है जिसमें पुरुष 6.6 प्रतिशत तथा महिला 12.0 प्रतिशत बेरोजगारी दर दर्ज है। इस आँकड़े के अनुसार 61.9 प्रतिशत स्व-नियोजित, 7.5 प्रतिशत वेतन भोगी तथा अनुबंधित मजदुर 14.7 प्रतिशत है। जिसमें 18.4 प्रतिशत जनजातीय महिलाएँ हैं।

तस्करी मार्ग

तस्करी मार्ग का सीधा संबंध बड़े शहरों से जुड़ा होता है। वैसे तो इस जाल का फैलाव क्षेत्र बहुत व्यापक है, परंतु तस्करी करने वाले संगठन का केंद्र मुख्य रूप से जनजातीय क्षेत्रों पर ही केंद्रित होता है। झारखण्ड राज्य पर ध्यान केंद्रित करें तो ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 तथा राजकीय राजमार्ग से सटे ग्रामों की जनजातीय महिलाएँ तस्करी जैसे समस्याओं से ज्यादा प्रभावित है।

एक आँकड़े के अनुसार रांची जिले से 421, खूंटी से 104, गुमला से 300 तथा जशपुर से 473 तस्करी के मामले सामने आये हैं। इस मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्र से जनजातीय महिलाओं की तस्करी कर बड़े शहरों जैसे- दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, हरियाणा, पंजाब आदि जगहों में ले जाया जाता है।

तस्करी संगठन

जनजातीय महिलाओं की तस्करी करने वाले लोग अपने वाग्यजाल से इन महिलाओं को अपना शिकार बनाते हैं। ये सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। इनके कार्य क्षेत्र ज्यादातर जनजातीय क्षेत्रों में है। इन महिलाओं की तस्करी कई प्रकार से किया जा रहा है-

- संगठन के द्वारा सीधा संपर्क : तस्करी करने वाले किसी संस्थान के बैनर तले काम करते हैं। यह बैनर का मुख्य उद्देश्य रोजगार दिलाने से संबंधित होता है, परंतु इस बैनर के पीछे संगठन अनैतिक कार्य करने का भी कार्य करती है। ये किसी न किसी संपर्क माध्यम से इन जनजातीय महिलाओं से सीधा संपर्क करके अपना शिकार बनाते हैं।
- अख़बार पत्र व इंटरनेट: अख़बार पत्र व इंटरनेट जनसंचार का सबसे बड़ा माध्यम है। इनका एक बड़ा क्षेत्र रोजगार व नौकरी से संबंधित होता है। इसके माध्यम से संगठन रोजगार व नौकरी दिलाने से संबंधित इस्तेहार देते हैं। ये संगठन का जन-संपर्क जाल ऐसा फैला होता है कि एक शिक्षित व कम पढ़े-लिखे समूह भी इसकी ओर आकर्षित हो जाते है।
- सामाजिक सदस्यों की भूमिका: इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण के रूप में परिवार व सामाजिक सदस्यों की भूमिका होती है। सर्वप्रथम पीड़िता का वैयक्तिक अध्ययन से स्पष्ट होता है कि उन्हें तस्करी के जाल में फसाने वाले कोई और नहीं बल्कि उनके हीं परिवार व समाज के सदस्य होते हैं। उनके बीच में रहने वाले लोग इन महिलाओं को अपनी सूझ-बूझ से इन्हें बरगलाने का प्रयास करते है और इन्हें तस्करी कर अपने साथ बड़े शहरों कि ओर ले जाते हैं।

निष्कर्ष एवं सुझाव

इस अध्ययन से स्पष्ट है कि मानव तस्करी एक अपराध के रूप में झारखण्ड राज्य के सभी जनजातीय क्षेत्रों में अपना पाँव पसार चुका है। इस राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में मानव तस्करी का अड्डा भी माना जा रहा है। इस अध्ययन से कुछ निष्कर्ष को दृष्टिगोचर होता है-

- झारखण्ड राज्य से वर्ष 2016 -17 में लगभग 48.9 प्रतिशत बंधुआ मजदुर का तस्करी हुआ है। जिसमें 15.6 प्रतिशत महिलाओं का तस्करी देह व्यापार हेतु किया गया है।
- पूर्व राजनीतिक व्यवस्थाओं के कारणों से ही झारखण्ड राज्य की शैक्षणिक स्थिति का उत्थान नहीं हो पाया है।
- कुल 15.6 प्रतिशत महिलाओं में 15.1 प्रतिशत महिलाएँ झारखण्ड राज्य की जनजातीय महिलाएँ है।
- इन जनजातीय महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति दर 27.3 प्रतिशत है। जिस कारण से ये महिलाए तर्क करने में असक्षम है।
- सभी महिलाए जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है इस कारण इनमें जागरूकता का अभाव है। ये अपने हक को भी नहीं समझ पाती है ओर अपने हक का विरोध भी नहीं कर रही है।
- मानव तस्करी करने वाले संगठन में ज्यादातर लोग पीड़िता के अपने परिचित होते हैं।
- मानव तस्करी का मूल कारण आर्थिक संकट है। यह संकट इन्हें अपने क्षेत्र से बाहर निकलने को मजबूर करता है तथा प्रमुख कारण रोजगार की कमी है।

संदर्भ

1. भट्टाचार्य, प्रमित 2013: "अन एपिडेमिक ऑफ क्राइम्स अगेन्स्ट वुमेन" लाइवमिंट, सितंबर 2012
2. देसाई, एस. ए. दुबे, बी.एल.जोशी 2010: ह्यूमन डेव्लपमेंट इन इंडिया: चैलेंज फोर आ सोसाइटी इन ट्रांजिसन, ऑक्सफोर्ड यूनिवरसिटि प्रेस, दिल्ली
3. मुखोपाध्याय, सपना 1998: इन द नेम ऑफ जस्टिस: वुमेन एंड लॉ इन सोसाइटी, मनोहर पब्लिशर्ष, नई दिल्ली
4. शेल्ली, लुईस 2010: ह्यूमन ट्राफ़िफ़र्किंग : अ ग्लोबल प्रसपेक्टिव, कैम्ब्रिज यूनिवरसिटि प्रेस, न्यू यॉर्क
5. ग्लोबल रिपोर्ट ऑन ट्राफ़िफ़र्किंग इन परसन्स -2014, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम